सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 947 **12 Aashwin, 1940(S)**

Ranchi, Thursday, 4th October, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

4th October, 2018

Notification No. 43/2018 – State Tax

S.O. No.70 Dated- 4th October, 2018-- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in super cession of –

(i) S.O. No. 132, dated 14th November, 2017 (State Tax) published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary; and

(ii) Notification No. 17/2018 – Central Tax dated 28th March, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 269 (E), dated the 28th March, 2018; and (As instructed, it was not required to be issued by the State)

(iii) Notification No. 33/2018 – State Tax dated 21st August, 2018 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 59, dated the 21st August, 2018,

except as respects things done or omitted to be done before such super cession, the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, effected

during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	31st October, 2018
2	October - December, 2017	31st October, 2018
3	January - March, 2018	31st October, 2018
4	April – June, 2018	31st October, 2018
5	July - September, 2018	31st October, 2018
6	October - December, 2018	31st January, 2019
7	January - March, 2019	30th April, 2019

Provided that the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** for the quarter from July, 2018 to September, 2018 by– (i) registered persons in the State of Kerala; (ii) registered persons whose principal place of business is in Kodagu district in the State of Karnataka; and (iii) registered persons whose principal place of business is in Mahe in the Union territory of Puducherry shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 15th day of November, 2018:

Provided further that the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** to be filed for the quarters from July, 2017 to September, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of notification No. 31/2018 – State Tax dated 21st August, 2018 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 58, dated the 21st August, 2018, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 31st day of December, 2018;

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to March, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,

Additional Chief Secretary

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना सं०. 43/2018- राज्य कर

एस. ओ. सं .70 दिनांक- 4 अक्टूबर, 2018-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और–

(i) एस. ओ. सं. 132, राज्य कर तारीख 14 नवंबर, 2017, जो झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, द्वारा प्रकाशित की गई थी ;

(ii) अधिसूचना सं. 17/2018-केंद्रीय कर तारीख 28 मार्च, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 269(अ) तारीख 28 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी ; (निदेशानुसार, इस अधिसूचना को राज्य द्वारा निर्गत करने कि आवश्यकता नहीं थी)

(ii) अधिसूचना सं. 33/2018- राज्य कर तारीख 21 अगस्त, 2018, जो झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, एस. ओ. सं. 59, तारीख 21 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी,

को सिवाय उन बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक समग्र आवर्त है, को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो नीचे यथा वर्णित प्रक्रिया का माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुसरण करेगें ।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की जावक पूर्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरों को झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत कर सकेंगे, अर्थात् :--

<u>सारणी</u>

क्रम सं.	**तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं**	**प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समयावधि**
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	31 अक्तूबर, 2018
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	31 अक्तूबर, 2018

3.	जनवरी-मार्च, 2018	31 अक्तूबर, 2018
4.	अप्रैल-जून, 2018	31 अक्तूबर, 2018
5.	जुलाई-सितंबर, 2018	31 अक्तूबर, 2018
6.	अक्तूबर-दिसंबर, 2018	31 जनवरी, 2019
7.	जनवरी-मार्च, 2019	30 अप्रैल, 2019

परंतु माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2018 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्ति के ब्यौरे–(i) केरल राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा ; (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारबार का मूल स्थान कर्नाटक राज्य में कोडागु जिले में है ; और (iii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका कारबार का मूल स्थान पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के माहे में है, इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 15 नवंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जांएगे :

परंतु यह और कि माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए करदाताओं द्वारा, जिन्होंने अधिसूचना सं. 31/2018- राज्य कर तारीख 21 अगस्त, 2018, जो झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, एस. ओ. सं. 58, तारीख 21 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान सं. (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त कर ली है, द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्ति के ब्यौरों को इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 के मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने की समय-सीमा पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/03/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

अपर मुख्य सचिव ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 947 -- 50.